

सं. 05/05/2020 - रा. भा. (सेवा)
भारत सरकार
गृह मंत्रालय/ राजभाषा विभाग

एनडीसीसी -II भवन,
बी विंग, चौथा तल, जय सिंह रोड,
नई दिल्ली - 110 001
दिनांक: 16 जून, 2021

कार्यालय आदेश


राजभाषा विभाग के दिनांक 05 अप्रैल, 2021 के कार्यालय आदेश सं. 05/05/2020 - रा. भा. (सेवा) के संदर्भ में 02 अधिकारियों के स्थानांतरण अन्य मंत्रालय/ विभाग में किए गए थे, किन्तु दोनों अधिकारियों द्वारा जहां उनकी तैनाती की गई है कार्यभार ग्रहण नहीं किया गया है जिनकी सूची निम्नानुसार है:-

क्र.सं.	नाम / पदनाम	वर्तमान तैनाती	तैनाती का कार्यालय
1.	श्री जगदीश राम पौरी, संयुक्त निदेशक	सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय	शिक्षा मंत्रालय (निदेशक के रिक्त पद के एवज में)
2.	श्री राजेन्द्र बाली, उप निदेशक	युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय	सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय (संयुक्त निदेशक के रिक्त पद के एवज में)

2. उपरोक्त तालिकानुसार दोनों अधिकारियों के स्थानांतरण के संबंध में दिनांक 21 जून, 2021 अपराह्न से कार्यमुक्त (Stand Relieved) के आदेश जारी किए जाते हैं। दिनांक 21 जून, 2021 अपराह्न से कार्यमुक्त ना होने की स्थिति में भी दोनों अधिकारियों को स्वतः ही कार्यमुक्त समझा जाएगा।

3. यह कार्यालय आदेश सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से जारी किया जाता है।

4. श्री जगदीश राम पौरी, संयुक्त निदेशक तथा श्री राजेन्द्र बाली, उप निदेशक के वर्तमान तैनाती के मंत्रालय/ विभाग से अनुरोध है कि उनको तत्काल प्रभाव से कार्यमुक्त करते हुए उनकी तैनाती के स्थान पर कार्यभार ग्रहण करने का निदेश दें, इनकी सेवापंजी, एलपीसी इत्यादि दस्तावेज संबंधित मंत्रालय/ विभाग में सीधे भिजवा दिए जाएं।


(बी. एल. मीना)
निदेशक (सेवा)

सेवा में,

- ✓ 1. अवर सचिव (प्रशा./ स्थापना), सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, शास्त्री भवन, नई दिल्ली।
2. अवर सचिव (प्रशासन/ स्थापना), शिक्षा मंत्रालय, शास्त्री भवन, नई दिल्ली।
3. अवर सचिव (प्रशा./ स्थापना), युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय, शास्त्री भवन, नई दिल्ली।
4. श्री जगदीश राम पौरी, संयुक्त निदेशक (रा. भा.), सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, शास्त्री भवन, नई दिल्ली।
5. श्री राजेन्द्र बाली, उप निदेशक, युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय, शास्त्री भवन, नई दिल्ली।
6. श्री नगेंद्र सिंह, वरिष्ठ तकनीकी निदेशक, राजभाषा विभाग, एनआईसी। कृपया कार्यालय आदेश को राजभाषा विभाग की वेबसाइट पर अपलोड करवाने की व्यवस्था करें।